UPFZ010000312026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।

पीठासीनः रणंजय कुमार वर्मा (UP01908) ... एच०जे०एस०

दाण्डिक निगरानी सं०–01/2026

[CIS Registration No.: 01/2026]

प्रेमा गुप्ता आयु लगभग 64 वर्ष पुत्री स्व०राम बहाल गुप्ता निवासिनी ग्राम सिंधौना थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।

.........निगरानीकर्ती

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य,
2. हरिओम तिवारी पुत्र उदय नरायण तिवारी निवासी सरोज सदन मोहल्ला शिव नगर कालोनी, पहाड़गंज थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।

.............विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ती प्रेमा गुप्ता की ओर से विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, अयोध्या द्वारा परिवाद सं०–880/2018 हरिओम तिवारी बनाम प्रेमा गुप्ता में पारित आलोच्य आदेश दिनाँकित 12.05.2022 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ती/अभियुक्ता एवं एक अन्य को अपराध अंतर्गत धारा 323, 452, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के विचारण हेतु जरिए समन तलब किया है।

2. निगरानी के तथ्य संक्षेप में इसप्रकार है कि विपक्षी सं०–1/परिवादी हरिओम तिवारी की तरफ से अवर न्यायालय में विपक्षीगण प्रेमा गुप्ता व राम लखन के विरूद्व एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया, जिसमें परिवादी द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि परिवादी की पत्नी प्रियंका पाण्डेय प्राथमिक विद्यालय धमधुआ थाना कुमार गंज जनपद फैजाबाद में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। परिवादी की पत्नी ने विपक्षी प्रेमा गुप्ता, प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय धमधुआ जनपद फैजाबाद के विरूद्व विभागीय बात को लेकर मुकदमा पंजीकृत करने हेतु न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था, जिसकी जानकारी होने पर विपक्षी प्रेमा गुप्ता अपने साथी रामलखन के साथ दिनाँक 25.05.2017 को साँय 07 बजे परिवादी के दरवाजे पर आए तथा माँ–बहन की गालियाँ देने लगे। परिवादी की पत्नी व बच्चे उस समय घर पर मौजूद नहीं थे। परिवादी ने विपक्षीगण को गाली देने से मना किया, तो वे जान से मारने की धमकी देते हुए परिवादी को मारने की नीयत से झपटे। परिवादी हल्ला गोहार मचाते हुए घर के अन्दर भागा तथा दरवाजा बन्द करना चाहा, तो विपक्षीगण दोनों लोग दरवाजा को धक्का देकर परिवादी के घर के अन्दर घुस आए तथा लात–घूसा, थप्पड़ से उसे मारने पीटने लगे।

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.03.06 16:27:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

परिवादी के हल्ला गोहार पर बगल में बैठे मनोज कुमार पाठक व सन्तोष कुमार व अन्य कई लोग पहुँच गए तथा बीच बचाव किए। इसके बाद विपक्षीगण पुनः परिवादी को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। परिवादी के अनुसार उसने घटना की सूचना स्थानीय थाने पर दिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थनापत्र दिया, किन्तु विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही नहीं हुयी, जिसके उपरांत अवर न्यायालय में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156 (3) द०प्र०सं० प्रस्तुत किया।

3. परिवादी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156 (3) द०प्र०सं० को विद्वान अवर न्यायालय ने आदेश दिनाँकित 20.01.2018 के द्वारा परिवाद के रूप में पंजीकृत किया। परिवादपत्र के कथनों के समर्थन में परिवादी ने स्वयं को धारा 200 द०प्र०सं० एवं साक्षीगण मनोज कुमार एवं संतोष को धारा 202 द०प्र०सं० के अंतर्गत अवर न्यायालय में परीक्षित कराया। विद्वान अवर न्यायालय ने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर आदेश दिनाँकित 12.05.2022 पारित करते हुए विपक्षीगण प्रेमा गुप्ता एवं राम लखन के विरूद्ध प्रथमदृष्टया मामला उत्पन्न होना पाते हुए उनको अपराध अंतर्गत धारा 323, 452, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के विचारण हेतु तलब किया, जिससे व्यथित होकर विपक्षी/अभियुक्ता प्रेमा गुप्ता की ओर से यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की गयी है।

4. निगरानीकर्ती ने निगरानी में यह आधार लिया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि की दृष्टि में गलत है। विद्वान अवर न्यायलय द्वारा पारित आलोच्य आदेश धारणाओं एवं उपधारणाओं पर आधारित है, न कि मामले के वास्तविक तथ्यों और परिस्थितियों पर। निगरानीकर्ती प्राथमिक विद्यालय धमथुआ में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत थी और दिनाँक 31.03.2023 को अवकाश प्राप्त किया। वर्ष 2012 से 2015 तक परिवादी की पत्नी प्रियंका पाण्डेय उसी विद्यालय में सहायक अध्यापिका रही थी और वह शिक्षण कार्य में नियमित नहीं थी। वह कई दिनों तक बिना सूचना व बिना अवकाश लिए विद्यालय नहीं आती थी। परिवादी व उसकी पत्नी निगरानीकर्ती पर दबाव डालती थी कि उपस्थिति पंजिका में परिवादी की पत्नी प्रियंका पाण्डेय को अनुपस्थित न दिखाया जाए। जब निगरानीकर्ती उक्त विधि विरूद्ध मांग को नहीं मानी, तो दिनाँक 31.01.2015 को विद्यालय बन्द होने के पूर्व प्रियंका पाण्डेय दूसरी मीटिंग के हस्ताक्षर करने के लिए मूल उपस्थिति पंजिका सहायक अध्यापक रामलखन, तीन रसोईयों व बच्चों की उपस्थिति में ले लिया और पंजिका का निरीक्षण कर परिवादी हरिओम तिवारी के साथ मूल उपस्थिति पंजिका जबरदस्ती लेकर जाने लगी तथा वापस मांगने पर निगरानीकर्ती को धक्का देकर गाली गलौज करते हुए धमकी देकर परिवादी के साथ मोटरसाइकिल से पंजिका को लेकर फरार हो गयी। निगरानीकर्ती व उच्चाधिकारियों के काफी प्रयास के बावजूद प्रियंका पाण्डेय व परिवादी ने उपस्थिति पंजिका विद्यालय को वापस नहीं की, तब निगरानीकर्ती ने मजबूरीवश थाना कुमारगंज में परिवादी व उसकी पत्नी प्रियंका पाण्डेय के विरूद्ध मुकदमा अंतर्गत अपराध सं०-223/2015 अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 381 भा०द०सं० पंजीकृत करवाया, जिसमें

विवेचनोपरान्त पुलिस द्वारा परिवादी एवं उसकी पत्नी प्रियंका पाण्डेय के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया है और वह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें सहायक अध्यापक रामलखन गवाह हैं। उक्त मुकदमे में सुलह हेतु दबाव बनाने के उद्देश्य से यह झूठा मुकदमा निगरानीकर्ती के विरूद्ध काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। निगरानीकर्ती पैर से विकलांग है तथा मुश्किल से चल पाती है। कथित घटना के समय निगरानीकर्ती की उम्र 57 वर्ष थी, ऐसी स्थिति में विकलांग व वृद्ध महिला द्वारा अपने निवास स्थान से पचास किलोमीटर दूर परिवादी के घर जाकर कथित घटना कारित किया जाना अत्यन्त अनाधिसम्भाव्य है। परिवादी द्वारा सही तथ्यों को न्यायालय से छिपाया गया है। घटनास्थल घनी शहरी आबादी वाला क्षेत्र है, इसके बावजूद उस क्षेत्र का कोई चक्षुदर्शी साक्षी न होना अभियोजन कथानक को पूर्णतया सन्देहास्पद बनाता है। अवर न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर सम्यक विचार न करके मकान भूल किया है। अवर न्यायालय में परीक्षित साक्षी घटनास्थल से करीब चार–पांच किलोमीटर दूर के निवासी हैं। घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति सन्देहपूर्ण है। घटना के समय परिवादी की पत्नी, जिसने कथित रूप से निगरानीकर्ती के विरूद्ध प्रार्थनापत्र दिया था, घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी, ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ती द्वारा परिवादी से गाली गलौज व मारपीट करना अत्यंत अनाधिसम्भाव्य है। अभियोजन कथानक चिकित्सीय साक्ष्य से संपोषित नहीं है। अवर न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया और सरसरी तौर पर आदेश पारित कर दिया है। उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनाँकित 12.05.2022 को निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

5. निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता ने अपने मौखिक तर्क में मुख्यतः वही कथन किए हैं, जो निगरानी में आधार के रूप में उल्लिखित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि निगरानीकर्ती के विरूद्ध कार्यवाही अग्रसारित करने हेतु कोई साक्ष्य अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय ने बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए त्रुटिपूर्ण ढंग से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। आलोच्य आदेश के विधिसम्मत न होने के कारण उसमें इस निगरानी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का पर्याप्त आधार उपलब्ध है। तदनुसार निगरानी स्वीकार कर आलोच्य आदेश निरस्त किया जाए।

6. इसके विपरीत विपक्षी सं०–1 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं विपक्षी सं०–2 की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी का विरोध किया गया एवं तर्क किया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिसम्मत है, जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य के आधार पर आलोच्य आदेश पारित किया है। निगरानी आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

7. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया एवं आलोच्य आदेश दिनाँकित 12.05.2022 एवं अवर न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन किया गया।

8. विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 204 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अवर न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं है कि वह विस्तृत आदेश पारित करे। धारा 204 द०प्र०सं० के अन्तर्गत तलवी के स्तर पर साक्ष्यों के गहन समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर मामले का सूक्ष्म परीक्षण नहीं किया जाएगा तथा परिणामों की सम्भाव्यता और असम्भाव्यता पर भी विचार नहीं किया जाएगा। यदि प्रार्थनापत्रों के अभिकथनों से संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है और उसका समर्थन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से होता है, तो अभियुक्त को तलब किए जाने का पर्याप्त आधार है। न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मात्र यह मीमांसा करने की आवश्यकता है कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रथमदृष्टया मामला बनता है या नहीं। इसी सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि निर्णय **"Prabhu Dutt Tiwari Vs. State of U.P., 2018 (1) RCR (Criminal) 613 (SC)"** में यह विधिक मत अवधारित किया है कि :-

> "At the stage of summoning the accused on basis of private complaint all that is required is a satisfaction by Magistrate that there is sufficient ground to proceed against the accused in the light of records made available and the evidence adduced by complainant."

9. इसी आशय का अभिमत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि निर्णयों **"Shivjee Singh Vs. Nagendra Tiwari, AIR 2010 SC 2261", "U.P.Pollution Control Board Vs. Dr. Bhupendra Kumar, 2009 (1) Crimes 216"** एवं **"Rekha Sharad Vs. Sapta Shrungi Mahila Nagari Sahkari Ltd., 2025 INSC 399 "** में भी उद्धृत किया गया है।

10. उपरोक्त विधिक सिद्धान्तों के प्रकाश में प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों को केवल इस स्तर तक देखा जाना अपेक्षित है कि क्या विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से निगरानीकर्ती/अभियुक्ता के विरूद्ध तलबशुदा अपराध कारित किए जाने का तथ्य प्रथमदृष्टया परिलक्षित होता है अथवा नहीं। प्रस्तुत मामले में विद्वान अवर न्यायालय ने आलोच्य आदेश के द्वारा निगरानीकर्ती/अभियुक्ता को अपराध अंतर्गत धारा 323, 452, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के विचारण हेतु तलब किया है। अवर न्यायालय की पत्रावली के परिशीलन से दर्शित होता है कि विपक्षी सं०-2/परिवादी हरिओम तिवारी ने परिवादपत्र में निगरानीकर्ती/अभियुक्ता एवं सहअभियुक्त राम लखन के विरूद्ध घटना की तिथि व समय पर परिवादी के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने तथा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। उक्त आरोपों के समर्थन में विपक्षी/परिवादी ने स्वयं को धारा 200 द०प्र०सं० एवं साक्षीगण मनोज कुमार पाठक व सन्तोष कुमार को धारा 202 द०प्र०सं० के अंतर्गत अवर न्यायालय में परीक्षित कराया है। परिवादी एवं साक्षीगण के बयान अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध हैं, जिसमें उन्होंने अपने बयानों में परिवादपत्र के समर्थन में निगरानीकर्ती/अभियुक्ता के विरूद्ध कथन किए हैं। परिवादी एवं साक्षीगण ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से घटना की तिथि, समय एवं स्थान तथा अभियुक्तगण द्वारा कारित कथित घटना का वर्णन किया है। इसप्रकार साक्षियों के बयान से

परिवादपत्र के कथानक का समर्थन प्रथमदृष्टया परिलक्षित है। यह सुस्थापित तथ्य है कि तलवी के स्तर पर साक्ष्यों के गहन समीक्षा का अवसर अवर न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं होता है तथा परिणामों की सम्भाव्यता अथवा असम्भाव्यता पर विचार इस स्तर पर करना अपेक्षित नहीं होता है। तलवी के स्तर पर अवर न्यायालय को केवल मात्र प्रथमदृष्टया केस ही देखना अपेक्षित होता है और प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों से निगरानीकर्ती/अभियुक्ता के विरूद्ध तलबशुदा अपराध कारित करना प्रथमदृष्टया परिलक्षित हो रहा है। अवर न्यायालय ने भी आलोच्य आदेश में इसी आशय का निष्कर्ष देते हुए निगरानीकर्ती/अभियुक्ता को विचारण हेतु जरिए सम्मन तलब किया है। निगरानीकर्ती/अभियुक्ता अपने बचाव में प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों को अवर न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के विभिन्न स्तरों पर विधिक प्राविधानों के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकती है, जिस पर विचार कर निर्णय लेने का अवर न्यायालय को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह उल्लेखनीय है कि निगरानी न्यायालय को निगरानी के स्तर पर मात्र यह विचारित करना अपेक्षित होता है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमतिता, अशुद्धता अथवा विधि की कोई त्रुटि कारित की गयी है या नहीं। निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत ही सीमित होता है और इसे नियमित रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

11. उपरोक्त विधिक विश्लेषण एवं विवेचन के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में कोई अनियमतिता, अशुद्धता अथवा अवैधानिकता कारित नहीं की गयी है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निहित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सन्तुष्टि के आधार पर विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। निगरानी में जो आधार लिए गए हैं, वे पर्याप्त प्रतीत नहीं होते हैं और इस कारण निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी सं०-01/2026 निरस्त किया जाता है।

अवर न्यायालय की पत्रावली निर्णय की एक प्रति के साथ अविलम्ब वापस प्रेषित हो।

दिनाँकः 06.03.2026

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या।

निर्णयादेश आज इस न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनाँकित कर उदघोषित किया गया।

दिनाँकः 06.03.2026

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या।